



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2013/माघ 4, 1934

No. 41]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 46(अ).—निजी तौर पर धारित स्वर्ण भंडार को परिचालन में लाने, स्वर्ण आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और स्वर्ण धारकों को उनके कब्जे में रखे हुए स्वर्ण के भंडारण, संचलन और सुरक्षा की समस्या से मुक्त करने के अलावा उनको कुछ आय प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने 14 सितम्बर, 1999 को स्वर्ण जमा योजना, 1999 अधिसूचित की थी। योजना के अंतर्गत अपने निष्क्रिय स्वर्ण का भाग बैंक में जमा करने हेतु लोगों के लिए योजना को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियमन के अंतर्गत पंजीकृत म्युच्युअल फंडों/विनियम व्यापार निधियों को भी सक्षम बनाने को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना, दिनांक 14 सितम्बर, 1999 संख्या सा.का.नि. 634(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में—

उप-पैराग्राफ (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(ii) “स्वर्ण प्रमाण-पत्र” का अर्थ है योजना के अभिदाता को उनके द्वारा जमा स्वर्ण का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जांच किए जाने तथा नामोद्विष्ट बैंक द्वारा जमा के रूप में स्वीकार

किए जाने के पश्चात् डिमैटिरियलाइज्ड रूप में या अन्य रूप में उन्हें जारी अंतिम रसीद”;

उप-पैराग्राफ (iv) में मद (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(घ) किसी न्यास सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियमावली के अंतर्गत पंजीकृत म्युच्युअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड”; और

उप-पैराग्राफ (vi) के मद 1, 3 (ii) और 7 के लिए क्रमशः निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

1. योजना कौन चला सकता है—रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी नामोद्विष्ट बैंक योजना का परिचालन कर सकते हैं।

3. स्वर्ण अभिदान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया :—

(ii) स्वर्ण के परीक्षण के उपरांत, यदि रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित हो तो नामोद्विष्ट बैंक स्वर्ण स्वीकार करेगा और अभिदाता के विकल्प पर उसे (क) स्वर्ण प्रमाण-पत्र अथवा (ख) लेखा विवरण अथवा (ग) पासबुक जारी करेगा।

7. स्वर्ण प्रमाण-पत्र का अंतरण—स्वर्ण प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय होगा। यदि प्रमाण-पत्र डिमैटिरियलाइज्ड रूप में जारी किया जाता है तो अंतरण के लिए डिपॉजिटरी रूल लागू होगा।

[फा. सं. 7/32/2012-बीओए]

उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

by him has been assayed as per Guidelines issued
by the Reserve Bank and accepted as deposit by
a designated bank”;

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

G.S.R. 46(E).—The Central Government, with a view to bringing privately held stock of gold in circulation, reduce the country's reliance on import of gold and providing its owners with some income apart from freeing them from the problems of storage, movement and security of gold in their possession, had notified Gold Deposit Scheme, 1999 on 14th September, 1999. With a view to also enable Mutual Funds/Exchange Traded Funds registered under SEBI (Mutual Fund) Regulations to deposit part of their Gold and to make the scheme more attractive for individuals to deposit their idle Gold, with the banks under the scheme, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), dated the 14th September, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 634(E), dated the 14th September, 1999, namely :—

In the said notification in paragraph 2,—

for sub-paragraph (ii), the following shall be substituted, namely :—

“(ii) “Gold Certificate” means the final receipt, in dematerialized form or otherwise, issued to a subscriber, of the Scheme after the gold tendered

by him has been assayed as per Guidelines issued by the Reserve Bank and accepted as deposit by a designated bank”;

for item (d) in sub-paragraph (iv), the following shall be substituted, namely :—

“(d) a Trust including Mutual Funds/Exchange Traded Funds registered under Security and Exchange Board of India (Mutual-Fund) Regulations”; and

for items 1, 3 (ii) and 7 in sub-paragraph (vi), the following shall respectively be substituted, namely :—

“1 Who can operate the Scheme.—All designated banks may operate the Scheme as per Guidelines issued by the Reserve Bank.

3. Procedure for making application for subscription of Gold :

(ii) After the Gold has been assayed, if required as per Guidelines issued by the Reserve Bank, the designated bank shall accept the Gold and at the option of the subscriber shall issue—(a) Gold Certificate or (b) a Statement of Account or (c) a Passbook to the subscriber.

7. Transfer of Gold Certificate:—The Gold certificate shall be transferrable by endorsement and delivery. In case of certificates issued in dematerialized form, the depository rules for transfer would apply.”

[F. No. 7/32/2012-BOA]

UMESH KUMAR, Jt. Secy.